रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112026-278027
CG-DL-E-18112026-278027

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6038] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 18, 2026/कार्तिक 27, 1948
No. 6038] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 18, 2026/KARTIKA 27, 1948

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2026

का.आ. 6278(अ).— केंद्रीय सरकार ने तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना की अनुसूची में सम्मिलित कतिपय प्रवर्गों की परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति को अनिवार्य करने हेतु, संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 द्वारा पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) प्रकाशित की है;

और, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरणों का गठन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन, राज्य स्तर पर पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के कार्यान्वयन तथा प्रवर्ग 'ख' के अधीन आने वाले सभी प्रस्तावों पर विचार करने और पर्यावरणीय अनापत्ति प्रदान करने के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजनार्थ किया गया है;

और, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरणों ने पिछले दो दशकों के दौरान पर्यावरणीय अनापत्ति के आंकलन की प्रक्रिया में पर्याप्त अनुभव अर्जित किया है और राज्य स्तर पर उक्त प्रक्रिया को पर्यावरणीय अनापत्ति संबंधी प्रस्तावों के कुशल और पारदर्शी निपटान के लिए **परिवेश** पोर्टल के माध्यम से पूर्णतः ऑनलाइन भी कर दिया गया है। इसके

अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्रदान करने के लिए राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरणों की सहायता करने के प्रयोजनार्थ अतिरिक्त राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आंकलन समितियों का भी गठन किया जाता है;

और, विशेषज्ञ आंकलन समितियों तथा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आंकलन समितियों में नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले विशेषज्ञों के लिए अर्हताओं और अनुभव आदि से संबंधित पात्रता मानदंड समान हैं तथा वे पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के परिशिष्ट 4 द्वारा शासित होते हैं। इस संबंध में, यह तथ्य है कि राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आंकलन समितियों में विशेषज्ञ आंकलन समितियों की तुलना में समान स्तर की विशेषज्ञता उपलब्ध है;

और, कोयला खनन परियोजनाओं के 500 हेक्टेयर तक के आंकलन के लिए राज्यों को पहले ही शक्तियां प्रत्यायोजित की जा चुकी हैं। गैर-कोयला खनन परियोजनाओं का पर्यावरण पर प्रभाव, कोयला खनन की तुलना में कम है। इस संबंध में, केंद्रीय सरकार, राज्य स्तर पर पर्यावरणीय अनापत्तियां प्रदान करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए, गैर-कोयला खनन परियोजनाओं के संबंध में पर्यावरणीय अनापत्ति की प्रक्रिया का और अधिक विकेंद्रीकरण करना आवश्यक समझती है, जिसके लिए प्रत्यायोजन की सीमा को 250 हेक्टेयर से बढ़ाकर 500 हेक्टेयर किया जाना अपेक्षित है, जैसा कि कोयला खनन परियोजनाओं के मामले में किया गया है;

और, विशेषज्ञ सलाहकार समिति की सिफारिशें भी आमंत्रित की गई थीं। विशेषज्ञ सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर, उक्त अधिसूचना में संशोधन करने के लिए एक प्रारूप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 4166(अ), तारीख 27 जुलाई, 2026 द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें उक्त प्रारूप अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर इससे प्रभावित होने वाले सभी सामान्य व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे; उक्त प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में साठ दिनों की अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया गया है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एंव वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, मद 1(क) के सामने,—

(क) स्तंभ (3) में, अंक और अक्षर “>250 हेक्ट.” के स्थान पर अंक और अक्षर “>500 हेक्ट.” रखे जाएंगे;

(ख) स्तंभ (4) में, अंक और अक्षर “≤250 हेक्ट.” के स्थान पर अंक और अक्षर “≤500 हेक्ट.” रखे जाएंगे।

[फा. सं. आईए3-19/39/2025- आईए.III]

उदय चौधरी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित हुई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्या का.आ. 5189(अ), तारीख 21 सितम्बर, 2026 के द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2026

S.O. 6278(E).— WHEREAS, the Central Government in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, in exercise of its powers under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 has published the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), *vide* number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006 for mandating prior environmental clearance for certain category of projects covered in the schedule of the notification;

And whereas, the State Level Environment Impact Assessment Authorities have been constituted under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 for implementation of the Environment Impact Assessment Notification, 2006 at State level for exercising delegated powers to consider and grant environmental clearance for all proposals under Category 'B';

And whereas, the State Level Environment Impact Assessment Authorities have gained substantial experience over the past two decades in the environmental clearance appraisal process and the process at the State level has also been made completely online through the PARIVESH portal for efficient and transparent disposal of EC proposals. Further, the Central Government also constitutes additional State Level Expert Appraisal Committees to assist the State Level Environment Impact Assessment Authorities for granting environmental clearances;

And whereas, the eligibility criteria such as qualifications and experience etc., for experts nominated in the Expert Appraisal Committees and State Level Expert Appraisal Committees are identical and are governed by the Appendix VI of the Environment Impact Assessment Notification, 2006. In this regard, it is a fact that equal level of expertise is available in the State Level Expert Appraisal Committees as compared to the Expert Appraisal Committees;

And whereas, the States have already been delegated powers for appraising 500 ha., of coal mining projects. The impact on environment of non-coal mining projects is less as compared to coal mining. In this regard, the Central Government deems it necessary to further decentralise the environmental clearance process with regard to non-coal mining projects, by raising the threshold of delegation from 250 ha. to 500 ha., as done in coal mining projects, for facilitating clearances at State level;

And whereas, the recommendations of the Expert Advisory Committee were also sought. Based on the recommendations of the Expert Advisory Committee, a draft notification for making amendments in the said notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 4166(E) dated 27th July, 2026, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby, within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public and the objections and suggestions received in response to the said draft notification within the period of sixty days have been duly considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, *vide* number S.O.1533(E) dated the 14th September, 2006, namely:-

In the said notification, in the Schedule, against item 1(a),–

(a) in column (3), for the figures and letters ">250 ha", the figures and letters "> 500 ha" shall be substituted;

(b) in column (4), for the figures and letters "≤ 250 ha", the figures and letters " ≤500 ha" shall be substituted.

[F. No. IA3-19/39/2025-IA.III]

UDAY CHAUDHARI, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide*, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and last amended *vide* the notification number S.O. 5189(E), dated 21st September 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.11.18 22:18:17 +05'30'